तारीख हुकम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज
28/1/20	वकील पत्रकारान को बहस हेतु अवसर चाहा। पत्रावली वास्ते बहस प्रा.पत्र I दि. 31/1/20 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी टोंक (राज.)
31/1/20	वकील पत्रकारान की प्रा.पत्र I पर वकील उभय पक्ष के बहस सुनी तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। देखते बहस वकील पत्रकारान ने अपने-अपने प्रा.पत्र व जवाब प्रा.पत्र के अंकित तथ्यों से दोहराया। मुतालिक राजस्व रिकार्ड प्रार्थीगण काश्तकार भूमि के खातेदार काश्तकार है, जिन्हें अपनी भूमि के रकबा व खुदकाश्त रकबे का अधिकार प्राप्त है। वे प्रतिपक्षीगण से सीर अधिकार की ED के प्रार्थीगण के काश्तकारी भूमि के किसी प्रकार के फसाहत बाड़ा खलान करें। अतः प्रार्थीगण का प्रा.पत्र अस्वीकार किया जाता है तथा प्रकरण में दिनांक 2/11/2018 को पारित स्थायी आदेश को रद्द बाद के लिये तय कार्यवाही किया जाता है। पत्रावली फैसल कुमार बोम तथ्य के कब्जे पत्रावली रद्द बाद में शामिल हो पावे। (रतनलाल धोबी) उपखण्ड अधिकारी टोंक (राज.)

Scanned by CamScanner